UPAG040128112025

<u>न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0)/त्वरित न्यायालय, न्यायालय संख्या-01, आगरा।</u>

उपस्थितिः सुश्री नैन्सी तिवारी (उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा)

<u>J.O. Code- UP 3408</u>

परिवाद संख्या: 3590/2025

1. श्रीमती रितु चौहान उर्फ रूचि पत्नी विवेक भदौरिया पुत्री राजेश चौहान

निवासी- ग्राम गढीमा, थाना अछनेरा, जिला आगरा। हाल निवास- ए ब्लॉक शास्त्रीपुरम, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा।

.....**प्रार्थिया।**

बनाम

1. विवेक भदौरिया पुत्र श्री नारेन्द्र भदौरिया
2. श्रीमती जशोदा पत्नी श्री नारेन्द्र भदौरिया

उपरोक्त निवासीगण-शहडौल बुढार चौक, ईदगाह के सामने, थाना कोतवाली, जिला शहडौल, मध्यप्रदेश।

.....**विपक्षीगण**।

धारा- 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
थाना- सिकन्दरा, जिला आगरा।

<u>एकपक्षीय निर्णय</u>

1- प्रार्थिया श्रीमती रितु चौहान उर्फ रूचि पत्नी विवेक भदौरिया की ओर से प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रस्तुत किया गया है।

2- संक्षेप में प्रार्थिया का कथन है कि प्रार्थिया की शादी दिनांक 06.03.2024 को हिन्दू रीति रिवाज से विवेक भदौरिया पुत्र श्री नारेन्द्र भदौरिया के साथ मय दान दहेज से हुयी थी। यह कि प्रार्थिया के माता पिता ने प्रार्थिया की शादी में करीब 12 लाख रुपये खर्च किये थे जिसमे समस्त घरेलू सामान सोने व चाँदी के आभूषण व 2 लाख रुपये प्रार्थिया के ससुरालीजनो को कैश के रुप मे दिया था लेकिन प्रार्थिया का पति विपक्षी विवेक उसकी बहन प्रीती व बहनोई सुमित अचानक शादी वाले दिन ही नगद 5 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज मे माँगने लगे और कहने लगे कि फेरे तभी होंगे, जब तुम लोग रकम का इंतजाम कर देंगे तब प्रार्थिया के पिता ने जैसे-तैसे 2 लाख रुपये एकत्रित किये और बाकी के रूपयों का इंतजाम करने का आश्वासन दिया तब प्रार्थिया के ससुरालीजनों ने फेरे की रस्में अदा की। यह कि जब प्रार्थिया विदा होकर पहली बार अपनी ससुराल शहडौल पहुँची तो पति विवेक व सास श्रीमती जशोदा व नन्द प्रीती व ननदोई सुमित ने प्रार्थिया से अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपये की माँग को लेकर प्रताड़ित किया प्रार्थिया के गहने व मोबाइल छीन लिया तथा उसके साथ मारपीट करने लगे और शादी के मात्र 4-5 दिन बाद ही

उसे अपनी बड़ी बहन सोनिका पत्नी अमन के साथ विना मोबाइल, आभूषण व कपड़े दिये मायके भेज दिया और धमकी दी कि यदि बिना 5 लाख रुपये लिये आयी तो तुझे नहीं रखेंगे। यह कि मायके पहुँचकर प्रार्थिया ने सारी बाते अपने पिता व अपनी माँ को बताई व करीब 1 महीने बाद बड़ी मुश्किलो के बाद बातचीत करके विपक्षी विवेक प्रार्थिया को अपने साथ ले गया परन्तु वहाँ ले जाकर पुनः 5 लाख रुपये की माँग को लेकर मारपीट की और धमकी दी कि अभी तो तुझे दबाव से ले आया हूँ लेकिन तुझे रखूँगा नहीं अपने माँ बाप से कहकर मुझे 5 लाख रुपये लाकर दे अन्यथा तुझे जान से मार दूँगा और आये दिन प्रार्थिया के साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगा और प्रार्थिया को यह कहकर उसके माँ बाप के यहाँ भगा दिया कि जब तक पैसे नहीं लायेगी, उसे लेने नहीं आयेगा। यह कि 4 महीने बाद प्रार्थिया अपने भाई शैलेश के साथ यह सोचकर वापिस अपनी ससुराल गयी कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जायेगा परन्तु तीन चार दिन बाद ही प्रार्थिया के पति व ससुरालीजनों ने पुनः पैसों की मांग की। प्रार्थिया के पति विवेक व उसके बहनोई ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब तक पैसे लेकर नहीं आयेगी तक तक तुझे नहीं रखेंगे और प्रार्थिया के पति ने प्रार्थिया को धमकी दी कि मैं तुझे माँ बनने का सुख भी नही दूँगा और तुझसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर लूँगा। यह कि जब प्रार्थिया ने इस बात का विरोध किया तो प्रार्थिया का पति दहेज की माँग को लेकर हिंसक हो गया और बुरी तरह मारपीट करने लगा और दिनांक 17-12-2024 की रात को प्रार्थिया को जान से मारने की नीयत से अत्यधिक मारापीटा और प्रार्थिया का गला दबाकर मारने का प्रयास किया जिससे प्रार्थिया के पूरे शरीर, गले व हाथों पर काफी चोटें आयीं। प्रार्थिया किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से रात को ही भागी और मात्र पहने हुए कपड़ों में घायल अवस्था में जैसे तैसे अपने माता पिता के पास पहुँची और सम्बन्धित थाने पर पति एवं अन्य ससुरालीजनों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी। यह कि घटना के दिनांक से आज तक प्रार्थिया अपने माता पिता के पास ही रह रही है। प्रार्थिया का समस्त स्त्रीधन भी उक्त ससुरालीजनों के कब्जे में है। प्रार्थिया ने अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

3- प्रार्थिया की ओर से **माननीय सर्वोच न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 730/2020 रजनेश बनाम नेहा** में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त के अनुरूप शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है।

4- उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थीगण पर नोटिस प्रेषित किया गया। प्रत्यर्थीगण पर तामीला पर्याप्त माना गया व प्रत्यर्थीगण उपस्थित नहीं आये, प्रत्यर्थीगण के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक **03.10.2025** से वाद की कार्यवाही को प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसारित किया गया।

5- प्रार्थिया द्वारा एकपक्षीय मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया गया है।

6- मेरे द्वारा प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7- प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र व उसके एकपक्षीय साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 2 जिनके साथ प्रार्थिया के घरेलू सम्बन्ध थे व साझा गृहस्थी में निवास करती थी। प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 2 द्वारा प्रार्थिया को शारीरिक, आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान कर घरेलू हिंसा कारित की गयी। प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होकर कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है न ही वादिया के

कथनों का खण्डन किया गया है। पत्रावली पर प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र एकपक्षीय व आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिया **श्रीमती रितु चौहान उर्फ रूचि पत्नी विवेक भदौरिया** का धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से निम्न प्रकार से स्वीकार किया जाता है-

धारा-18 प्रत्यर्थीगण को धारा 18 के अन्तर्गत घरेलू हिंसा के किसी प्रकार के कार्य करने से रोका जाता है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थिया को किसी प्रकार की कोई भी अन्य शारीरिक, आर्थिक व भावनात्मक यातना न दे और न ही उससे किसी प्रकार की कोई मांग करें।

धारा-19 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निवास हेतु प्रत्यर्थी सं0 1 को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थिया को साझा गृहस्थी में निवास करने दे अथवा उसी स्तर का वैकल्पिक निवास प्रदान करे अथवा किराये के कमरे में निवास हेतु **मु0 3,000/- (तीन हजार) रूपये** प्रतिमाह प्रदान करे।

धारा-20 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत भरण पोषण हेतु प्रत्यर्थी सं0 1 को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थिया को उसके भरण पोषण हेतु **मु0 4,000/- (चार हजार) रूपये** प्रतिमाह प्रदान करे।

धारा 22 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थिया के साथ घरेलू हिंसा के प्रतिकर स्वरूप एकमुश्त **मु0 70,000/- (सत्तर हजार) रूपये** प्रत्यर्थीगण, प्रार्थिया को आदेश के दिनांक से तीन माह के भीतर अदा किया जाना सुनिश्चित करे। भरण पोषण व किराये की धनराशि **मु0 7,000/- (सात हजार) रूपये** प्रतिमाह प्रार्थनापत्र की प्रस्तुति की दिनांक से देय होगी। उक्त धनराशि प्रत्येक माह की 20 वीं तारीख तक अदा की जाये। इस न्यायालय द्वारा पारित भरण पोषण की धनराशि **मु0 4,000/- (चार हजार) रूपये** प्रतिमाह किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित भरण पोषण की धनराशि में समायोजित की जायेगी। आदेश की एक-एक प्रति संबंधित थानाध्यक्ष को व डी०पी०ओ० आगरा को भेजी जाए व आदेश की एक प्रति निशुल्क प्रार्थिया को प्राप्त करायी जाए। तदोपरांत पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

एस०डी०

(नैन्सी तिवारी)
सिविल जज(जू0 डि0)/त्वरित न्यायालय,
न्यायालय संख्या-01,आगरा।

दिनांकः 02.01.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

एस०डी०

(नैन्सी तिवारी)
सिविल जज(जू0 डि0)/त्वरित न्यायालय,
न्यायालय संख्या-01,आगरा।

दिनांकः 02.01.2026